पुस्तिका कोड-14

AAE – 1 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) पुनः परीक्षा, 2014

जुलाई, 2017

सार लेखन एवं प्रारूप

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

टिप्पणियां :

1. सार लेखन तैयार करने से संबंधित प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन करते समय परीक्षार्थी द्वारा उन्हें समझने और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे छोटे वाक्यों में व्यक्त करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गद्यांश को चयनित रूप में दोहरा दें।
2. इस प्रश्न पत्र में **7** प्रश्न और **2** पृष्ठ हैं।
3. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका में दिए गए स्थान पर इस प्रश्न पत्र के पुस्तिका की कोड संख्या लिखनी चाहिए।
5. उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में दी गई सारणी में उत्तर पुस्तिका के उन पृष्ठ संख्या का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रत्येक प्रश्न अथवा उनके भाग का उत्तर दिया गया हो।
6. **प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग-अलग प्रकार के पेन/स्याही का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य हो जाएगी।**
7. उत्तर पुस्तिका में छोड़े गए किसी भी/सभी खाली जगहों को या खाली पन्नों को रेखा खींचकर काट दीजिए।

1. निम्नलिखित लेखांश का सार लगभग एक तिहाई शब्दों में लिखिए तथा उसे उपयुक्त शीर्षक दीजिए। *(25 अंक)*

संविधान के अनुच्छेद 280 में निर्दिष्ट वित्त आयोग का मुख्य अधिदेश 'करों की कुल प्राप्तियों का संघ और राज्यों के बीच वितरण' जिन्हें उनके बीच विभाजित किया जाना है, या किया जा सकता है; "उक्त प्राप्तियों के संबंधित अंशों के राज्यों के बीच आवंटन" तथा "सिद्धांतों, जिससे भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्वों के अनुदान सहायताओं को अभिसासित करने" हेतु, सिफारिशें करने का है। वित्त आयोग की भूमिका संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के पश्चात् बढ़ गई है, जिनमें ग्रामीण एवं शहरी निकायों को सरकार व शासन की तीसरी व्यवस्था (टियर) के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 280(3) (खख) और अनुच्छेद 280(3)(ग) आयोग को संबंधित राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के साधनों के परिपूरक हेतु किसी राज्य की समेकित निधि के वर्धन करने के लिए उपायों की सिफारिश करने का अधिदेश देता है।

संविधान के अनुच्छेद 280(2ग) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश के कारण वित्त आयोग की परिधि, जैसा वित्त आयोग के विचारार्थ विषय (टीओआर) में निर्दिष्ट किया गया है, गत वर्षों में विस्तारित की गई है, जिसमें आयोग से "सुदृढ़ वित्त साधनों के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपा गया अन्य कोई विषय" पर विचार करने की व्यवस्था की गई है। 14वें वित्त आयोग (एफ सी-XIV) के संबंध में, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : पांच वर्षों की अवार्ड अवधि के लिए संघ और राज्यों के संसाधनों का मूल्यांकन करना; कराधान प्रयास और अतिरिक्त राजस्व जुटाने की संभावना को चिन्हित करना; संघ सरकार के संसाधनों पर मांग; ऋणग्रस्त राज्यों में संसाधन उपलब्धता पर ऋण स्तरों के प्रभाव सहित विभिन्न शीर्षों के तहत राज्यों के संसाधनों के लिए मांग; पूंजीगत परिसंपत्तियों और योजनागत योजनाओं पर अनुरक्षण व्यय के गैर-वेतन घटक की पूर्ति करने के लिए राज्यों की आवश्यकता; प्राप्तियों और व्यय को संतुलित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ-साथ पूंजीगत निवेश के लिए अधिशेष सृजित करना; सांविधिक प्रावधानों के माध्यम से नीतिगत उतार-चढ़ाव से सार्वजनिक आपूर्त्ति सेवाओं के मूल्यन के अवरोधन की जरूरत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूचीबद्ध करने के साथ प्रतिस्पर्धी एवं बाजार उन्मुख बनाने की आवश्यकता और गैर-प्राथमिकता वाले उद्यमों का विनिवेश एवं अधित्याग करने की आवश्यकता पर विचार करना। आयोग के विचारार्थ विषय (टीओआर) के अनुसार आयोग से वस्तु एवं सेवा कर के प्रस्तावित कार्यान्वयन के संघात तथा राजस्व हानि की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए प्रक्रियाविधि, अपेक्षित सब्सिडियों के स्तर निर्धारित करना तथा संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच इनकी उचित हिस्सेदारी निर्धारित करना और स्थायी विकास के साथ सुसंगत परितंत्र, पर्यावरण और जलवायु परिवर्त्तन के प्रबंध हेतु आवश्यकता पर, विचार करने की अपेक्षा की गई है।

आयोग के विचारार्थ विषय के अनुसार आयोग से बजट प्रक्रिया और लेखांकन मानकों एवं क्रियाविधियों सहित वर्तमान सार्वजनिक व्यय प्रबंधन प्रणालियों, प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने तथा देश के भीतर एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से परिव्ययों को आउटपुटों और परिणामों से जोड़ने की भी अपेक्षा की गई है। आयोग को 13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए राजकोषीय समेकन रोडमैप को ध्यान में रखते हुए घाटा और ऋण स्तरों की समीक्षा और राजकोषीय उत्तरदायित्ता एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों के संशोधन सहित एक स्थिर एवं स्थायी राजकोषीय परिवेश के लिए उपायों की सिफारिश करने का भी अधिदेश दिया गया है। आयोग का एक और अधिदेश है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन निधियां गठित करने के संदर्भ में आपदा प्रबंधन में वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करना तथा इनके संबंध में उपयुक्त सिफारिश करना। *(568 शब्द)*

2. उपर्युक्त लेखांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के शब्दों की संख्या 50 तक होनी चाहिए)। *(5x3=15 अंक)*

(i) वित्त आयोग का मुख्य अधिदेश क्या है?
(ii) वित्त आयोग की भूमिका में विस्तार का कारण बताएं।
(iii) सुदृढ़ वित्त साधनों के हित में 14वां वित्त आयोग को विचार करने हेतु सौंपे गए कोई पांच विषय बताएं।

3. महालेखा नियंत्रक से सभी मुख्य लेखा नियंत्रकों को एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें भविष्य पोर्टल में पेंशन मामलों को संसाधित करने की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया गया हो। *(20 अंक)*

4. "स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है"। लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। *(25 अंक)*

5. निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक-एक शब्द लिखें: *(5 अंक)*

(i) भलाई चाहने वाला।
(ii) जिसमें रस न हो।
(iii) जानने की इच्छा रखने वाला।
(iv) जो गिना न जा सके।
(v) ऊपर कहा हुआ।

6. निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों/वाक्यांशों का उपयुक्त हिन्दी शब्द/वाक्यांश लिखें: *(5 अंक)*

(i) backward reference
(ii) issue today
(iii) Acknowledgement letter
(iv) Administrative
(v) No objection certificate

7. निर्देशानुसार लिखें : *(5 अंक)*

(i) उन्नति (विलोम शब्द लिखें)
(ii) रात (तीन पर्यायवाची शब्द लिखें)
(iii) हवा से बाते करना (मुहावरे का अर्थ लिखें और वाक्य बनाएं)
(iv) आज बजट के ऊपर बहस होगी (त्रुटि को सही करें)
(v) पुरष्कार (सही शब्द लिखें)

Booklet Code-14

AAE – 1 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) RE-EXAMINATION, 2014

JULY, 2017

PRECIS AND DRAFT

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

Note :1. While evaluating the question on precis, the candidates would be evaluated for their understanding and ability to express the same in short sentences using simple words. He would not be expected to reproduce the passage selectively.

2. This question paper contains **7** questions and **2** pages.
3. All the questions are **compulsory**.
4. Candidates should write the Booklet Code No.of this question paper on their answersheet in the space provided.
5. In the table provided on the front cover page of the answer book, indicate the page number of the answer book where answer to each question or part thereof is written.
6. **Do not use different pens/ink for answering questions. Doing so may render the answer script invalid.**
7. Strike off all blank pages/space in the answer books.

1. Write a precis of the following passage in about 1/3 of its length and give a suitable title. *(25 marks)*

The core mandate of the Finance Commission, as laid out in Article 280 of the Constitution, is to make recommendations on "the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them", "the allocation between the States of the respective share of such proceeds" and "the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India". The role of the Finance Commission has widened after the 73rd and 74th Constitutional amendments to recognize the rural and urban local bodies as the third tier of government. Article 280(3)(bb) and Article 280(3)(c) of the Constitution mandate the Commission to recommend measures to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of Panchayats and Municipalities based on the recommendations of the respective State Finance Commissions (SFCs).

The remit of the Finance Commission, as laid out in its terms of reference (ToR), has expanded over the years due to the Presidential order under Article 280(2C) which provides for the Commission to consider "any other matter referred to the Commission by the President in the interests of sound finances". In respect of the Fourteenth Finance Commission (FC-XIV), these include: assessment of the resources of the Centre and the States for the five-year award period; taxation efforts and the potential of additional revenue mobilization; demands on the resources of the Central Government; the demands on the resources of States under different heads including the impact of debt levels on resource availability in debt – stressed States; the requirement of States to meet the non-salary component of the maintenance expenditure on capital assets and Plan schemes; the objective of not only balancing receipts and expenditure but also generating surpluses for capital investment; the need for insulating the pricing of public utility services from policy fluctuations through statutory provisions; and the need to make public sector enterprises competitive and market-oriented with listing, disinvestment and relinquishing of non-priority enterprises. The ToR also expects us to take into consideration the impact of the

proposed implementation of goods and services tax and the mechanism for compensation in case of revenue loss; the level of subsidies that are required and an equitable sharing of these between the Union Government and State Governments; and the need to manage ecology, environment and climate change consistent with sustainable development.

The ToR requires us also to review the present public expenditure management systems, including the budgeting and accounting standards and practices, the existing system of classification of receipts and expenditure, linking outlays to outputs and outcomes and best practices within the country and internationally. We are mandated also to review the deficit and debt levels of the Union and States, keeping in view the fiscal consolidation roadmap recommended by FC-XIII and recommend measures for ensuring a stable and sustainable fiscal environment, including amendment of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Another mandate is to review the prevailing arrangements regarding disaster management with reference to the funds constituted under the Disaster Management Act, 2005 and make appropriate recommendations regarding these. *(518 words)*

2. Answer the following questions on the basis of the passage above within 50 words each:

(5x3=15 marks)

(i) What is the core mandate of the Finance Commission?
(ii) What widened the role of the Finance Commission?
(iii) Mention any five points which were referred to the 14th Finance Commission in the interest of sound finances.

3. Draft a DO letter from CGA to all CCAs emphasizing the need and importance of processing of pension cases in Bhavishya Portal. *(20 marks)*

4. "People's participation is essential for the success of Swachh Bharat Abhiyan". Comment in approximately 150 words. *(25 marks)*

5. Complete the following sentences with appropriate prepositions. *(5 marks)*

(i) I read the news _____ the newspaper.
(ii) Our country is committed ____a policy of peaceful co-existence.
(iii) Everybody congratulated him_____ his promotion.
(iv) He is on leave _____one month.
(v) Retirement function is _____ the club house.

6. Use appropriate form of the verbs given in brackets. *(5 marks)*

(i) PFMS _____ (provide) reliable MIS to various stakeholders.
(ii) GPF statements are _____ (issue) to Government employees annually.
(iii) Policy makers have been _____ (debate) ways to boost infrastructure in India.
(iv) She _____ (plan) to take voluntary retirement after completion of 20 years of service.
(v) She was _____ (give) charge of pre-check section in March.

7. Do as directed in the bracket. *(5 marks)*

(i) I am looking forward to see you. (Correct the error in the sentence).
(ii) List of business or subject to be considered in a meeting. (Give one word in substitution).
(iii) I ordered a sandwich_____ a coffee (Use preposition).
(iv) Cow is a useful animal. (Insert an article).
(v) He passes a bill. (Change the sentence into passive voice).